न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/2017	09.03.2017	29.05.2026

1. बाबूलाल पुत्र मनसुखा माली निवासी आलनपुर हाल निवासी सुमनपुरा की झोपड़ी तहसील खण्डार।

वादीगण

बनाम

1. रामहरि पुत्र श्योराम माली निवासी अल्लापुर तहसील खण्डार।
2. हीरा पुत्र श्योराम माली निवासी अल्लापुर तहसील खण्डार।
3. लक्ष्मण पुत्र श्योराम माली निवासी अल्लापुर तहसील खण्डार।
4. मथुरा पुत्र धन्ना माली निवासी क्यारद की झोपड़ी तहसील खण्डार।
5. चिरंजी पुत्र सोन्या माली निवासी शेरपुर तहसील सवाईमाधोपुर।
6. गंगाराम पुत्र रामपाल माली निवासी आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :—

श्री रमेश चन्द तेहरिया अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

   - यह है कि वादी ग्राम आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर का निवासी है व काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रतिवादीगण लडाकू व झगडालू किस्म के व्यक्ति है व थोकबन्द है जो गरीब व कमजोर व्यक्तियों की आराजीयात पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं।

   - यह है कि आराजी खसरा नं0 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार में स्थित है प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के खातेदारी के खेत खसरा नं0 335 की मेड वादी के खेत से मिली हुई है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादी नं0 5 को विक्रय कर दी है, वादी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आराजी पर काबिज है। वादी ने विवादित आराजी खसरा नं0 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा को इसके खातेदार छोटूलाल पुत्र बंशी माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार से दिनांक 23.7.98 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से वादी अपनी खरीद शुदा आराजी पर लगातार काबिज होकर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा हैं।

   यह है कि मौके पर खसरा नं0 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा पर वादी ने डोल मेड लगा रखी है लेकिन प्रतिवादीगण के मन में वादी की उक्त आराजी के प्रति शुरू से ही बदयान्ती रही है लिहाजा प्रतिवादीगण उक्त आराजी के वादी के काश्त करने में मजामहत पैदा करने लगे तो वादी ने एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर कैम्प खण्डार के न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 31.5.06 को डिकी किया जिसमें निम्न आदेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय ने पारित किया:– "आराजी खसरा नं0 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा नहरी ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार के लिए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्तआराजी के वादी के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं मजाहमत पैदा करें ना ही दीगर व्यक्तियों से करावें।

- यह है कि उक्त दावें में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया था जिसे न्यायालय ने खारिज किया हैं। उक्त निर्णय व डिकी की कोई अपील प्रतिवादीगण ने आज तक नही की है तथा उक्त आदेश अंतिम हो चुका हैं।

- यह है कि उक्त निर्णय व डिकी से शुब्दा होकर प्रतिवादीगण दिनांक 11.02.2017 को मौके पर आये जिस वक्त वादी अपने खेत पर मौजूद था एवं उन्होनें आते ही ट्रेक्टर की मदद से वादी के खातेदारी के उक्त खेत की डोल–मेड तोड दी व पूरे खेत को ही अपने खेत में मिला दिया। वादी ने प्रतिवादीगण को रोकने की काफी कोशिश की परन्तु संख्या बल में अधिक होने के कारण प्रतिवादीगण ने जोर–जबरदस्ती वादी के खेत की डोल मेड तोडकर खेत को अपने खेत में मिला दिया वादी केवल चिल्लाकर रह गया। वादी तुरन्त पुलिस थाना भी गया तो उन्होंने कहा कि न्यायालय में जाओं यहां क्यो आये हो। वादी प्रतिवादीगण की लट्ठमर्दी के आगे बेबस हैं।

- यह है कि वादी गरीब कमजोर व अकेला व्यक्ति है । प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक व पैसे वाले व रसूखदार लोग है वादी उनका मुकाबला करने में असमर्थ हैं ।

- यह हैकि वादी को यह अधिकार हासिल है कि वह प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करवावे व प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावे कि वे विवादित आराजी के वादी के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा पैदा करने ना ही अपने नौकर या ऐजेन्ट से बाधा पैदा करावें।

- यह है कि विनाय दावा दिनांक 11.02.17 को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर आकर वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत को जबरन ट्रेक्टर द्वारा डोल–मेड तोडकर अपने खेत में मिला लेने के कारण न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है जिसे सुनने का श्रीमान् को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

- यह है कि दावा निश्चित कोर्ट फीस 4/– रू0 पर अन्दर म्याद तहत धारा राजस्थान टीनैन्सी एक्ट पेश हैं।

- यह है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें।

(ए) यह है कि दावे के मद नं0 2 में दर्ज आराजी से प्रतिवादीगण को बदेखल फरमाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावें।

(बी) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी दर्ज दावा का मद नं0 2 में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत या मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे ना ही दीगर व्यक्ति से करावें।

2. वादी के दावा को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के द्वारा वकालतनामा पेश कर जबाव हेतु समय चाहा गया। दिनांक 08.09.2023 को जबाव दावा हेतु प्रतिवादीगणों को बार–बार

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

3. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गये। जिसमें PW1 के रूप में बाबूलाल पुत्र मनसुखा माली, PW2 के रूप में रामकिशोर पुत्र रामदयाल माली, PW3 के रूप में राजेश पुत्र रामप्रसाद माली, PW4 के रूप में कैलाश पुत्र पूनीराम माली, के शपथ पत्र पेश किया गया।

4. वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

- यह है कि आराजी खसरा नम्बर 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर स्थित वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 335 की मेड वादी के खेत से मिली हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी है। वादी ने अपनी आराजी छोटूलाल पुत्र बंशी माली से दिनांक 23.07.1998 को जरिये रजिस्ट्री खरीदी है।

- यह है कि वादी ने अपने खेत खसरा नम्बर 336/1 में डोल–मेड लगा रखी है। प्रतिवादीगण के मन में वादी के सीधा व्यक्ति होने के कारण बदयान्ति आती रहती है एवं वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी के वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करते रहते है। पूर्व में भी वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर कैम्प खण्डार के न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 31.05.2006 को डिक्री किया गया था एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया गया था फिर भी प्रतिवादी ने बराये बदयान्ति दिनांक 11.02.2017 को वादी की मौजूदगी में ही ट्रेक्टर से वादी उक्त आराजी की डोल–मेड तोडकर उक्त आराजी को अपनी आराजी में मिला लिया। प्रतिवादी को वादी ने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन अकेला व्यक्ति होने के कारण रोकने में असमर्थ रहा। लिहाजा वादी को यह दावा पेश करना पडा।

- यह है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दावे के नोटिस जारी किये गये लेकिन बावजूद अमानतन तामील प्रतिवादीगण में से कोई भी वादी के दावे के विरूद्ध न्यायालय में पेश नही हुआ। लिहाजा न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 08.09.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

- यह है कि वादी ने अपने दावे को साबित करने के लिये जुबानी साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 के रूप में बाबूलाल, पीडब्ल्यू–2 रामकिशोर माली, पीडब्ल्यू–3 राजेश माली, पीडब्ल्यू–4 कैलाश माली के बयान सशपथ पेश किये एवं अपने दावे को साबित किया है। प्रतिवादीगण के न्यायालय में हाजिर नही आने से यह माना जावेगा कि उनके द्वारा गलत रूप से वादी की आराजी पर कब्जा किया गया है। लिहाजा वादी के सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारो की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण को वादी की खातेदार की आराजी से बेदखल करने हेतु दावा डिकी किया जाना आवश्यक है।यह है कि प्रतिवादीगण की हैसियत अतिक्रमी की है एवं वादी की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार हांसिल नही है एवं अतिक्रमी को बेदखल किया जाना आवश्यक है, निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश हैः– आरआरडी 2009 पेज 382, आरआरडी 2009 पेज 319, 1977 आरआरडी पेज 39, 1977 आरआरडी पेज 312

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- यह है कि प्रतिवादीगण ट्रेसपासर है एवं ट्रेसपासर की जो परिभाषा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(44) में दी गई है जो निम्न है:–

  जो व्यक्ति बिना ऑथरेटी कब्जा लेता है वह ऐवनिशियो ट्रेसपासर एवं टेंक ट्रेसपासर कहलाता है।

  ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति को जिसे कानूनी तरीके से भूमि दी गई है उसे भूमि का उपयोग से रोके।

5. पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान वादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं0 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदा खुर्द से प्रतिवादीगण को बदेखल फरमाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करवाये जाने एवं उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वकील वादी द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। खाता संख्या 85 जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 वांके ग्राम सुमनपुरा अनुसार खसरा नम्बर 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा बाबूलाल पुत्र मनसुख के नाम दर्ज थी। जिस पर नामान्तकरण संख्या 270 दिनांक 20.11.2024 से बेचान के द्वारा गोपाललाल पुत्र श्योनारायण जाति माली के नाम स्वीकार हुआ। वकील वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2024 की छायाप्रति भी संलग्न की है जिसके अनुसार विक्रेता बाबूलाल पुत्र मनसुख द्वारा क्रेता गोपाललाल माली पुत्र श्योनारायण को विक्रय शुदा भूमि खसरा नम्बर 336/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा ग्राम सुमनपुरा का मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा संभला दिया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 336/1 का बेचान कर गोपाललाल पुत्र श्योनारायण को कब्जा संभलाया जाना प्रतित होता है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अतिचारी को बेदखल करने का आदेश हकदार व्यक्ति द्वारा वाद करने पर किया जा सकता है। जमाबन्दी अनुसार वादी वर्तमान में उक्त विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार नहीं है। साथ ही प्रस्तुत विक्रय पत्र छायाप्रति अनुसार स्वयं वादी द्वारा अन्य व्यक्ति को विवादित आराजी पर कब्जा सम्भलाया गया है। जब वादी उक्त विवादित भूमि का खातेदार ही नहीं रहा है तो प्रतिवादीगणों के विरूद्ध विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी विवादित आरजी के खातेदार नहीं होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का हकदारी नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

6. वादी का वाद पत्र बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

   निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/05/26

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)